भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2494

जिसका उत्तर दिनांक गुरुवार, 06 फरवरी, 2014 को दिया जाना है

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की स्थिति

2494. श्री सुल्तान अहमद:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार एसआईएल को बेचने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पुनर्गठन बोर्ड द्वारा किसी रूग्ण कंपनी की पुनरूद्धार पैकेज के लिए सिफारिश की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष में इन कंपनियों को कोई पैकेज दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क): स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को सौंपी हुई एक रुग्ण कंपनी है। निधियां प्रदान किए जाने, लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में छूट देते हुए अधिवर्षिता की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने तथा अन्य के साथ लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में 2007 वेतन समीक्षा के कार्यान्वयन का पुनरुद्धार प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा 31.01.2013 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया गया था। विस्तृत पुनरुद्धार स्कीम बीआईएफआर के समक्ष लंबित है; बीआईएफआर में कार्यशील पूंजी और पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान करने के लिए भारी उद्योग विभाग को निदेश दिया है। 31.90 करोड़ रुपये के बराबर पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी के लिए 20 करोड़ रुपये के ब्याजमुक्त योजना ऋण के लिए निधियां पहले ही जारी कर दी गई हैं।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ): जी, हां।

(ङ): एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के संबंध में लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने 30.05.2013 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ कार्यशील पूंजी के प्रयोजनार्थ ऋण के रूप में वित्तीय सहायता और 1997 वेतन समीक्षा के कार्यान्वयन की सिफारिश की है।

एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड के संबंध में लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने 30.05.2013 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ इक्विटी के रूप में निधियां दिए जाने, भारत सरकार के ऋण और ब्याज माफ किए जाने, 1997 मजदूरी/वेतनमानों के संशोधन और कार्यान्वयन की सिफारिश की है।

(च) और (छ): लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशें प्रक्रियाधीन हैं।

*****